

न्यायालय लैण्ड रेकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.) सिरौही राज.

क्रमांक: कोर्ट/2019/ 2451

दिनांक 13-12-20

राजस्व प्रा.पत्र. संख्या.....124/19.....


तहसीलदार सिरौही द्वारा जरिये पत्र क्रमांक 2289 दिनांक 11-12-2019 के संलग्न प्राप्त प्रस्ताव मय राजस्व रेकॉर्ड जमाबंदी दस्तावेजात प्रतियों का गहनतापूर्वक अवलोकन करने के उपरान्त प्राप्त प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित होने से राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत उक्त प्रस्ताव को अनुमोदित कर तहसीलदार सिरौही को पुनःमूल प्रस्ताव मय राजस्व रेकॉर्ड के भेजकर आदेश दिये जाते हैं कि प्रस्तावानुसार अपक्षित राजस्व रेकॉर्ड में दुरुस्ती कर जमाबंदी अपडेट कर पालना रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर इस न्यायालय को आवश्यक रूप से भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। *As Approve*

लैण्ड रेकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)

लैण्ड रेकॉर्ड ऑफिसर  
(उपलण्ड सिरौही राज.)  
सिरौही (राज.)

सेवा में

श्रीमान तहसीलदार साहब  
सिरोही



विषय:- जमाबंदी में हिलेदारी शुद्ध करने का बत

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि- भोजा-बलवंतगढ़ में मेरी खालेदारी ग्रामि है जिसके स्वसरा खाता नंबर- 222 है तथा स्वसरा नंबर 499 व 500 है। तथा पुराने स्वसरा नंबर 371, 372, 373 है जिनका कुल रुबा- 3.16 है। इसमें मेरा नियमानुसार 1/2 हिस्सा है क्योंकि मैंने यह जमान दो बार 1/4 - 1/4 हिस्सा खरीदकर ली है जिसकी इजिस्ट्री ठी छाया प्रति साथ में संलग्न है। लेकिन सेगीगेशन जमाबंदी अपडेट करते समय मेरा हिस्सा 1/2 के बजाय 1/8 खोला गया जो कि गलत है। अतः श्रीमान जी के निवेदन है कि आप घेरी हिलेदारी शुद्ध करने का आदेश फरमावे आपकी अति कृपा होगी।

1267  
15/11/19

420/11/19

L R

8  
15/11/19

जमाना देवी

भवदीय

कार्यालय तहसीलदार (भू. अ.) सिरोही देवी पत्नी बदाराम  
फोन नं. 120000/2019/2420 दिनांक 26-11-19

श्रीमान जी पत्नी देवी का पति का नाम है  
जिसके नाम में वर्तमान हिस्सा के सम्बन्ध में जांच का  
जांच रिपोर्ट पेश करें।

तहसीलदार (भू. अ.) सिरोही

